

सं0सं0- प्र03-प्र00-04/2014(खण्ड-1)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्यरत/सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2003" सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (संशोधन) नियमावली-2006 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली तथा बिहार कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-5152 दिनांक- 21.05.2013 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम-(5) में अंकित देय तिथि से अनुमान्य सातवाँ वेतनमान में लेवल-11 में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र0	कर्म का नाम/वर्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	आ0नि0 संवर्ग में 30 वर्ष पूर्ण होने की तिथि/तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर छपरा	<u>02.01.1966</u> 31.01.2026	<u>05.08.1991</u> (स0च0पदा0)	<u>05.08.2021</u> 05.08.2021 (लेवल-11)
2	श्री रामाकान्त द्विवेदी सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बसंतपुर	<u>20.05.1961</u> 31.05.2021	<u>07.03.1989</u> (स0च0पदा0)	<u>07.03.2019</u> 07.03.2019 (लेवल-11)
3	स्व योगेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया	<u>02.01.1960</u> 31.01.2020	<u>21.11.1989</u> (आ0नि0)	<u>21.11.2019</u> 21.11.2019 (लेवल-11)

- क्रमांक-03 पर अंकित स्व0 योगेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया को तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ इस शर्त पर दिया गया कि एल0पी0ए0 संख्या-965/2023 में पारित होनेवाले आदेश के फलाफल से अच्छादित होगा ।
- सभी नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त देय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय उन्नयन का मिलान संबंधित कर्मियों की सेवापुस्तिका से करने के पश्चात् ही अनुमान्य आर्थिक लाभ का भुगतान किया जाए । त्रुटि परिलक्षित होने की स्थिति में अनुशंसा के साथ विभाग को प्रतिवेदित की जाए एवं एतद् संबंधी आदेश के फलस्वरूप यदि अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो इसकी वसूली संबंधित कर्म से एक मुश्त की जाए ।

रवीन्द्र कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रतिलिपि—

01. महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
02. सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
03. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के कोषांग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक (खाद्य)/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी, (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/सभी संबंधित कार्यरत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी—01, 08 एवं 05, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
04. आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।